

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 971-I / 2007 निगरानी

1. रघुवीरसिंह पुत्र श्री जीवनसिंह
 2. बलवन्तसिंह पुत्र श्री जीवनसिंह
 3. सुरेन्द्रसिंह पुत्र श्री स्वर्णसिंह
 4. सुखदेवसिंह पुत्र श्री इकबालसिंह
 5. बलविन्दरसिंह पुत्र श्री इकबालसिंह
 6. कुलदीपसिंह पुत्र श्री इकबालसिंह
 7. बलविन्दर पुत्र श्री इकबालसिंह
 8. हरमजन कौर पुत्री श्री इकबालसिंह
 9. तेजवीर कौर पुत्री श्री महावीरसिंह
 10. अमरजीत कौर पुत्री श्री आशासिंह
- निवासीगण ग्राम बोंसखेडी तहसील व जिला शिवपुरी
मध्यप्रदेश
11. दर्शनसिंह पुत्र श्री गोपालसिंह निवासी ग्राम
सतकोडा भटाला जिला गुरुदासपुर पंजाब

—प्रार्थीगण

नाम

1. सुखदेवसिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह (मृत) वारिसान
अ- सुन्दरकौर पत्नी स्वर्गीय श्री सुखदेवसिंह
ब- भूपिन्दर सिंह पुत्र श्री सुखदेवसिंह
स- साधासिंह पुत्र श्री सुखदेवसिंह
द- मल्कीतसिंह पुत्र श्री सुखदेवसिंह
य- राजकौर पुत्र श्री सुखदेवसिंह
ल- रानी पुत्री श्री सुखदेवसिंह
2. बलदेवसिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह
3. गुरुदीपसिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह
4. जीतसिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह
5. प्रीतमसिंह पुत्र श्री इन्दरसिंह (मृत) वारिसान—
अ- कुलदीप कौर पत्नी स्वर्गीय श्री प्रीतमसिंह

श्री जी.वी.हरे
द्वारा आज दि. 6-8-07 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल व. प्र. ग्वालियर

6/8/07

PS/MS/1004
06/08/07

M

बं- बंसोनिया नाबालिग पुत्री श्री प्रीतमसिंह द्वारा
संरक्षक माँ कुलजीत कौर बेवा श्री प्रीतमसिंह

6. गुरमीतसिंह नाबालिग पुत्र श्री इन्दरसिंह

7. अमरीकसिंह नाबालिग पुत्र श्री इन्दरसिंह

द्वारा संरक्षक पिता स्वयं

संभी निवासीगण ग्राम बांसखेडी तहसील व जिला
शिवपुरी

—प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता
विरुद्ध आदेश दिनांक 14.5.2006 जो कि बन्दोबस्त आयुक्त
मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/अपील/ 91-92 में
पारित किया गया और जिसके द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण का निम्नलिखित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत है:-

1. यहकि, प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, सन 1983 में पारस्परिक बँटवारा कराने हेतु एक आवेदनपत्र धारा 178 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता के अन्तर्गत तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। यह प्रकरण, प्रकरण क्रमांक 34/ 1982-83 पर अंकित हुआ तथा राजस्व नियमों के अनुसार इसका विभाजन होकर निम्नानुसार सम्पत्ति विभाजित की गयी:-

रघुवीरसिंह एवं बलवन्तसिंह प्रार्थीगण को तथा रघुवीरसिंह एवं बलवन्तसिंह, सुखदेवसिंह, बलजेन्द्रसिंह, कुलदीपसिंह, बलवेन्द्रसिंह और हरमजन, हरनामसिंह तथा दर्शनसिंह, बलकारसिंह, स्वर्णसिंह, जगवीरसिंह एवं प्रेमकौर को उनके हिस्से के अनुसार जमीन दी गयी।

2. यहकि, बँटवारे के पश्चात तहसील आदेश के विरुद्ध

रघुवीरसिंह बलवन्तसिंह सुखदेवसिंह बलजेन्द्रसिंह कुलदीपसिंह बलवेन्द्रसिंह

R. 971-I/07-प्रियायु गी.

आवेदक और श्री आनंदराव

2-8-16

दुखे अनुपस्थित। अना. 2 के अंतर्गत श्री गुरुदेव
कोटापरकर उपर आवेदक और को कोटा
कोर अथवा लजनामी गरी परतु कोर अना
नही प्रकाश अथवा प्रकाश है। अना. 3+3
प्रकाश अथवा प्रकाश में समाप्त किंचित प्रकाश
है प्रकाश रिक्त वाक्य है

[कृ. प. उ.]